

Participants : Atwal Shri Charnjit Singh, Kaushal Shri Raghuvir Singh

an>

Title : Need to provide special assistance to farmers in view of damage to their crops and cattle due to hailstorm in various villages of Kota and Baran districts in Kota Parliamentary Constituency in Rajasthan.

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, आप भी किसान परिवार से हैं और आज देश में आर्थिक संकट के कारण अनेक प्रान्तों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारा राजस्थान अभी तक इससे अछूता था। अभी कल मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां ओलावृष्टि के कारण गांवों में जो बर्बादी हुई है, वह देखी नहीं जाती। गन्ने, सरसों और गेहूं की पूरी फसल नट हो चुकी है। उनके यहां पशुओं के चारे की समस्या हो गई है। घर में दो दिन हुए, चूल्हा नहीं जल रहा है, खेत पर बैठकर पूरा का पूरा परिवार रो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं, पशुओं की क्षति हुई है, पेड़ के पत्ते नीचे आ गये हैं, एक पत्ता नहीं बचा, पक्षी भी मर गये हैं। ऐसी स्थिति में जहां ओलों के कारण 100 प्रतिशत क्षति हुई है, वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। जाम लग रहे हैं, आन्दोलन हो रहा है, आत्महत्या की कोशिश की जा रही है। मैं कल उनके बीच में था, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरी

[i78]

जब उन्हें राहत देने की बात आई, तो आपदा राहत को से, बाबा आदम के जमाने के लघु और सीमान्त कृकों के लिए जो नार्म्स बने हुए हैं, उनके कारण उन्हें परेशानी होती है। इसके अलावा जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर अच्छे बीज लिए, फर्टीलाइज़र लिया, उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। जब सारी फसल बर्बाद हो गई, तो वे आज कर्ज कहां से चुकाएंगे, 12 महीने कहां से खाएंगे और बिजली का बिल कहां से देंगे। आज उनके सामने यह समस्या आ गई है जिससे पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अकाल राहत को के नार्म्स बढ़ाए जाएं। जो सीमान्त कृक नहीं हैं, उनकी भी बर्बादी हुई है। वे अगले साल की फसल कैसे तैयार करेंगे। उन्हें भी इसमें मुआवजा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बीमा फसल योजना बनी हुई है, वह केवल पाखंड है। जब पूरी तहसील की 50 प्रतिशत से अधिक फसल नट होती है, तब बीमे की क्षतिपूर्ति मिल सकती है। जब ओले पड़ते हैं तो वे तहसील के गांव नहीं गिनते, वह एक पट्टी जाती है, इस तहसील के कुछ गांव, उस तहसील के कुछ गांव। सब बर्बाद हो गए हैं। बैंक बीमे की राशि कम्पलसरी काटते हैं, लेकिन उन्हें बीमे की राशि नहीं मिलती। इसलिए बीमा कानून में संशोधन करके इसे कम से कम पंचायत लैवल पर लाया जाए। आपदा राहत को की राशि भी किसानों के लिए बढ़ाई जाए, अन्यथा राजस्थान, जो आत्महत्या से अछूता था, वहां भी आत्महत्याएं होंगी। मैं मौके पर देखकर आया हूँ और इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी, श्री सुभा महेरिया, प्रो. रासा सिंह रावत और श्री गिरधारी लाल भार्गव भी इनके साथ एसोसिएट करते हैं।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This matter is also a serious one. This not only happens in Rajasthan but also in Punjab. वह दो-चार गांवों को ही इफैक्ट करता है, लेकिन हम पूरी तहसील को लेते हैं। जब सारी तहसील को काउंट करते हैं तो दो-चार गांव ही रह जाते हैं। Village should be considered as a unit.

...(व्यवधान

)